प्रकाशन हेतु अनुमोदित

छत्तीसगढ़ उच्च न्यायालय बिलासपुर

युगल पीठ : **माननीय श्री सुनील कुमार सिन्हा, न्यायाधीश और**

माननीय श्री राधे श्याम शर्मा, न्यायाधीश

दांडिक अपील क्रमांक 347/2007

मयाराम व अन्य

बनाम

छत्तीसगढ़ राज्य

निर्णय विचारार्थ

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur

सही/-

आर.एस.शर्मा

न्यायाधीश

माननीय श्री सुनील कुमार सिन्हा, न्यायाधीश — मैं सहमत हूं ।

सही/-

सुनील कुमार सिन्हा

न्यायाधीश

दिनांक **18-10-2012** को प्रस्तुत किया जाए।

सही/-

आर.एस.शर्मा

न्यायाधीश

छत्तीसगढ़ उच्च न्यायालय बिलासपुर

युगल पीठ : **माननीय श्री सुनील कुमार सिन्हा, न्यायाधीश और**

माननीय श्री राधे श्याम शर्मा, न्यायाधीश

दांडिक अपील क्रमांक 347/2007

अपीलार्थीगण

1. मयाराम पिता केजुराम साहू, उम्र – 55 वर्ष
2. बिसरू उर्फ चंदू पिता मयाराम साहू, उम्र -27 वर्ष
3. पुरषोत्तम पिता मयाराम साहू, उम्र – 25 वर्ष

सभी निवासी- ग्राम चारौदा, पुलिस थाना – कोतवाली, महासमुंद, जिला – महासमुंद (छ. ग.)

बनाम

प्रत्यर्थी

छत्तीसगढ़ राज्य

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur

उपस्थित :

श्री संजीव कुमार अग्रवाल, अधिवक्ता, अपीलार्थीगण की ओर से ।

श्री राजेन्द्र त्रिपाठी, पैनल अधिवक्ता, प्रत्यर्थी/राज्य की ओर से ।

(**दंड प्रक्रिया संहिता**, 1973 **की धारा** 374 (2) **के तहत दांडिक अपील**)

निर्णय

(दिनांक **18-10-2012)**

श्री राधे श्याम शर्मा, न्यायाधीश द्वारा

1. यह अपील सत्र न्यायाधीश महासमुंद द्वारा सत्र विचारण क्रमांक **29/2006** में दिनांक **02-03-2007** को पारित निर्णय और आदेश के विरुद्ध दायर की गई है, आरोपीगण/अपीलार्थीगण मयाराम, बिसारू उर्फ चंदू और पुरुषोत्तम को भारतीय दंड

संहिता की धारा **302** के सहपठित धारा **34** के तहत दोषी ठहराया गया है और उन्हें आजीवन कारावास तथा **5,000/-** रुपये के जुर्माने से दंडित किया गया है**;** जुर्माना न भरने पर उन्हें **1** वर्ष का कठोर कारावास भुगतना होगा।

2. मामले के संक्षिप्त तथ्य इस प्रकार हैं कि **:-**

कालीराम **(**अ**.**सा**.-1),** बलिराम **(**अ**.**सा**.-2)** और अपीलार्थी क्रमांक **01** मयाराम सगे भाई हैं। दिनांक **21-07-2006** को**,** लगभग शाम **4:00** बजे कालीराम **(**अ**.**सा**.-01)** अपने घर जा रहा था। रास्ते में उसने देखा कि अपीलार्थीगण उसके बेटे चमन पर लाठी और डंडे से हमला कर रहे थे। भयवश वह वहां से भाग गया और गांव कोटवार**,** शिवकुमार **(**अ**.**सा**. -05)** और उसके भाई बलिराम **(**अ**.**सा**.- 02)** के पास गया और उन्हें घटना के बारे में बताया। वे घटनास्थल पर लौट आए। उन्होंने देखा कि मृतक चमन गली में बेहोश पड़ा था। उसके सिर और हाथ पर चोटें आई थीं। कुमारी लीना साहू **(**अ**.**सा**.-03)** ने भी घटना को देखा। कालीराम **(**अ**.**सा**. -01)** ने पुलिस थाना कोतवाली**,** महासमुंद में प्रथम सूचना रिपोर्ट **(**प्रदर्श पी**-1)** दर्ज कराई। देहाती मर्ग की सूचना **(**प्रदर्श पी**-2)** भी दर्ज की गई। विवेचना अधिकारी घटनास्थल पर पहुंचे**,** पंचों को नोटिस **(**प्रदर्श पी**-3)** दिया और मृतक के शव की मृत्यु समीक्षा **(** प्रदर्श पी **– 4)** तैयार की **(**प्रदर्श पी**-16)** के द्वारा मृतक के शव को पोस्टमार्टम के लिए महासमुद के जिला अस्पताल भेजा गया । डॉ**.** आर**.**के**.** परदल **(**अ**.**सा**.-12)** ने मृतक के शव का पोस्टमार्टम किया और अपनी रिपोर्ट **(**प्रदर्श पी **-22)** दी**,** जिसमें उन्होंने पाया कि**-**

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur

बाह्य चोट

(i) दाहिनी पार्श्विका हड्डी पर 8x2x1 सेमी का फटा हुआ घाव**,**

(ii) बायी पार्श्विका हड्डी पर $5 x 2 x 1$ सेमी का फटा हुआ घाव**,**

(iii) दाहिनी कलाई में चोट**,** खरोंच और दर्द मौजूद है**,** कोहनी की हड्डी में फ्रैक्चर है**,** चोट का आकार लंबवत 8″$X 1\frac{1}{2}$ **"** और क्षैतिज 4 X1 \\{1\\} over \\{2 **″** है।

(iv) कमर पर चोट और खरोंच, कमर के दाहिनी ओर खून का थक्का मौजूद था, खरोंच का आकार क्षैतिज रूप से 10 X 1 \\{1\\} over \\{2\\} था, ऊपर वाली चोट के नीचे 5 x 1 \\{1 \\} over \\{2 \\} और 6 X 1 \\{1\\} over \\{2\\} आकार की **2** चोटें थीं।

<u>आंतरिक चोट</u>:

विच्छेदन करने पर, उन्होंने दाहिनी पार्श्विका हड्डी में पश्चकपाल-पार्श्व जोड़ से दाहिनी आंख की आंतरिक हड्डी तक फैली हुई हड्डी पर **10** इंच लंबा फ्रैक्चर पाया। मस्तिष्क के ऊपर सबड्यूरल हेमाटोमा मौजूद था और मस्तिष्क झिल्ली के नीचे बाएं और दाएं हिस्सों में रक्त के थक्के मौजूद थे। उन्होंने आगे पाया कि पांचवीं और छठी पसलियां टूटी हुई थीं और फुफ्फुस झिल्ली फट गई थी। उन्होंने राय दी कि मृत्यु का कारण महत्वपूर्ण अंगों, दाहिने मस्तिष्क, फेफड़े और हड्डियों में गंभीर चोट के कारण सदमा, रक्तस्राव और कोमा था और मृत्यु की प्रकृति मानववध थी ।

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur

विवेचना पूरी होने के बाद, मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट महासमुंद के न्यायालय में अपीलार्थीगण के खिलाफ अभियोग दायर किया गया, जिन्होंने मामले को सत्र न्यायाधीश महासमुंद के न्यायालय को उपार्पित कर दिया, जिन्होंने विचारण का संचालन कर अपीलार्थीगण को ऊपर बताए अनुसार दोषी ठहराया और दंडित किया।

3. अपीलार्थीगण के विद्वान अधिवक्ता श्री संजीव कुमार अग्रवाल ने तर्क दिया है कि कोई स्वतंत्र प्रत्यक्षदर्शी नहीं है। कालीराम **(अ.सा. -1)** मृतक के पिता हैं और कुमारी लीना साहू **(अ.सा. -3)** मृतक की पुत्री हैं। वे रिश्तेदार हैं और मामले से अत्यधिक हितबद्ध साक्षी हैं। पूरन बांधे **(अ.सा.-6)** की गवाही विश्वसनीय नहीं है। घटना स्थल पर उसकी उपस्थिति संदिग्ध है। उसने आगे तर्क दिया कि कालीराम **(अ.सा. -1)** और अपीलार्थीगण के बीच पुरानी दुश्मनी थी। उस शत्रुता के कारण, कलीराम **(अ.सा. -1)** और कुमारी लीना साहू **(अ.सा.-3)** द्वारा अपीलार्थीगण को झूठा फंसाया गया है, इसलिए उनके साक्ष्य स्वीकार्य नहीं

हैं। अभियोजन पक्ष कोई ठोस और विश्वसनीय साक्ष्य प्रस्तुत नहीं कर सका। इसलिए विद्वान सत्र न्यायाधीश द्वारा दर्ज की गई दोषसिद्धि स्थिर रखने के योग्य नहीं है और अपीलार्थीगण को बरी किया जाना चाहिए।

अपीलार्थी के विद्वान अधिवक्ता ने वैकल्पिक रूप से यह तर्क दिया कि यदि संपूर्ण साक्ष्य को भी स्वीकार कर लिया जाए, तो भी यह प्रतीत होता है कि मृतक की हत्या करने का कोई आशय नहीं था। इसलिए, अपीलकर्ताओं को भारतीय दंड संहिता की धारा **302** के तहत दोषी नहीं ठहराया जा सकता। इसके बजाय, वे भारतीय दंड संहिता की धारा **304** के तहत दंड के पात्र होंगे। उन्होंने ज़ाकिर हुसैन और अन्य बनाम मध्य प्रदेश राज्य **(**अब छत्तीसगढ़**) 2012 (2)** सीजीएलजे **36 (**डीबी**)** पर भरोसा जताया।

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur

4. राज्य/प्रत्यर्थी की ओर से विद्वान पैनल अधिवक्ता श्री राजेंद्र त्रिपाठी ने आक्षेपित निर्णय का समर्थन करते हुए कहा कि विद्वान सत्र न्यायाधीश द्वारा की गई दोषसिद्धि एवं दंडादेष में इस न्यायालय द्वारा किसी भी प्रकार के हस्तक्षेप की आवश्यकता नहीं है।

5. हमने पक्षकारों के विद्वान अधिवक्ताओं को विस्तार से सुना और सत्र प्रकरण क्रमांक **29/2006** के अभिलेख का परिशीलन किया। भारतीय दंड संहिता की धारा **302/34** के तहत अपीलार्थीगण की दोषसिद्धि कलीराम **(**अ.सा**.-1),** कुमारी लीना साहू **(**अ.सा**. -3)** और पूरन बांधे **(**अ.सा**. -6)** के साक्ष्यों पर आधारित है।

संबंधित हितबद्ध साक्षी का साक्ष्य:

6. इस मामले में यह निर्विवाद है कि कालीराम **(**अ.सा**. -1)** मृतक के पिता हैं और कुमारी लीना साहू **(**अ.सा**. -3)** उनकी पुत्री हैं, इसलिए वे संबंधित साक्षी हैं। अभियोजन पक्ष ने पूरन बांधे **(**अ.सा**. -6)** का परीक्षण कराया हैं, जो एक स्वतंत्र साक्षी है।

7. धर्णीधर बनाम उत्तर प्रदेश राज्य और अन्य, **(2010) 7** एससीसी **759** में, माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने निम्नलिखित निर्णय दिया**:**

"12. ऐसा कोई अटल नियम नहीं है कि परिवार के सदस्य कभी भी घटना के सच्चे साक्षी नहीं हो सकते और वे हमेशा न्यायालय के सामने झूठी गवाही ही देंगे। यह हमेशा मामले के तथ्यों और परिस्थितियों पर निर्भर करेगा। जयबालन बनाम यूटी ऑफ पांडिचेरी, **(2010) 1** एससीसी **199** में, इस न्यायालय को यह विचार करने का अवसर मिला कि क्या हितबद्ध साक्षियों के साक्ष्य पर भरोसा किया जा सकता है। न्यायालय ने यह मत व्यक्त किया कि किसी हितबद्ध साक्षी के साक्ष्य पर विचार करते समय संकीर्ण दृष्टिकोण नहीं अपनाया जा सकता। ऐसे साक्ष्य को केवल इसलिए अनदेखा या खारिज नहीं किया जा सकता क्योंकि वह पीड़ित के किसी करीबी रिश्तेदार से प्राप्त हुआ हो।

13. इसी तरह का विचार इस न्यायालय ने राम भरोसे बनाम उत्तर प्रदेश राज्य, **(2010) 1** एससीसी **722** में भी व्यक्त किया था, जहां न्यायालय ने विधि के सिद्धांत को दोहराया था कि मृतक का करीबी रिश्तेदार स्वतः ही एक हितबद्ध साक्षी नहीं बन जाता है। एक हितबद्ध साक्षी वह होता है जो प्रतिशोध, शत्रुता या विवाद के कारण किसी व्यक्ति को दोषी ठहराने में रुचि रखता है और केवल इसी आशय से न्यायालय के समक्ष गवाही देता है, न कि न्याय के उद्देश्य को आगे बढ़ाने के लिए। किसी हितबद्ध साक्षी के साक्ष्य के मूल्यांकन से संबंधित विधि सुस्थापित है, जिसके अनुसार, किसी हितबद्ध साक्षी के बयान को पूरी तरह से खारिज नहीं किया जा सकता है, बल्कि उसे स्वीकार करने से पहले सावधानीपूर्वक जांचना आवश्यक है।

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur

8. ब्रह्म स्वरूप और अन्य बनाम उत्तर प्रदेश राज्य, एआईआर **2011** एससी **280** के मामले में, माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने निम्नलिखित निर्णय दिया:

"21. महज इसलिए कि साक्षी मृतक व्यक्ति के करीबी रिश्तेदार थे, उनके साक्ष्य को खारिज नहीं किया जा सकता। किसी पक्ष से उनका संबंध साक्षी की विश्वसनीयता को प्रभावित करने वाला कारक नहीं है, बल्कि, संबंध से वास्तविक अपराधी को छिपाया नहीं जा सकता और किसी निर्दोष व्यक्ति पर आरोप नहीं लगाया जा सकता। किसी पक्ष को अपने झूठे आरोप के संबंध में तथ्यात्मक आधार स्थापित

करना होता है और त्रुटिहीन साक्ष्य प्रस्तुत करके उसे सिद्ध करना होता है। हालांकि, ऐसे मामलों में न्यायालय को सावधानीपूर्वक दृष्टिकोण अपनाना होता है और साक्ष्यों का विश्लेषण करके यह निर्धारित करना होता है कि वे ठोस और विश्वसनीय हैं या नहीं। **.....”**

9. वामन और अन्य बनाम महाराष्ट्र राज्य, **(2011) 7** एससीसी **295** में, माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने निम्नलिखित निर्णय दिया**:**

“17. बलराजे बनाम महाराष्ट्र राज्य, **(2010) 6** एससीसी **673** में, इस न्यायालय ने माना कि केवल इस तथ्य के आधार पर कि साक्षी मृतक से संबंधित थे, उनके साक्ष्य को खारिज नहीं किया जा सकता है। आगे यह भी कहा गया कि जब चक्षुदर्शी साक्षियों के बारे में यह कहा जाता है कि वे आरोपी के प्रति स्वार्थी और शत्रुतापूर्ण रवैया रखते हैं, तो यह ध्यान रखना होगा कि इस संभावना को खारिज करना उचित नहीं होगा कि वे असली अपराधी को बचाएंगे और किसी निर्दोष व्यक्ति को फंसाएंगे। सबूतों की सत्यता या असत्यता का आकलन व्यावहारिक रूप से किया जाना चाहिए और न्यायालय को संबंधित साक्षियों और उन साक्षियों के साक्ष्यों का विश्लेषण करना होगा जो आरोपी के प्रति शत्रुतापूर्ण भाव रखते हैं।**.....**

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur

“19. .....”29. ..... किसी साक्षी के साक्ष्य को केवल इस आधार पर खारिज नहीं किया जा सकता कि उसका अपराध के पीड़ित से संबंध है। यदि साक्ष्य विश्वसनीय है और उस पर भरोसा किया जा सकता है, तो रिश्तेदारों के साक्ष्य से संबंधित तर्क निराधार हो जाते हैं। ऐसे मामले में, यदि झूठे फंसाए जाने का आरोप लगाया जाता है तो बचाव पक्ष को आधार प्रस्तुत करना होगा और न्यायालय को संबंधित साक्षियों के साक्ष्यों का सावधानीपूर्वक विश्लेषण करना होगा ताकि यह पता लगाया जा सके कि वे ठोस और विश्वसनीय हैं या नहीं। **(**देखें जमैल सिंह बनाम पंजाब राज्य,

(2009) 9 एससीसी **719,** विष्णु बनाम राजस्थान राज्य**, (2009) 10** एससीसी **477** और बलराजे**, (2010) 6** एससीसी **673**।**)**

10. अब**,** माननीय सर्वोच्च न्यायालय द्वारा निर्धारित उपरोक्त सिद्धांतों के आलोक में**,** हम कालीराम **(**अ**.**सा**. -1)** और कुमारी लीना साहू **(**अ**.**सा**. -3)** के साक्ष्यों की जांच करेंगे।

11. कालीराम **(**अ**.**सा**. -1)** ने कथन किया कि अपीलार्थी मयाराम उसका भाई अपीलार्थी बिसारू उर्फ चंदू और अपीलार्थी पुरूषोत्तम उसके भतीजे है। उन्होंने आगे बयान दिया कि मृतक चमन उनका पुत्र था। उन्होंने आगे कथन किया कि शुक्रवार को दोपहर लगभग **3-4** बजे वे दुकान गए थे**,** जहाँ झगड़े की आवाज सुनकर वे वापस लौट आए और अपने घर की गली के सामने पहुँच गए। उन्होंने देखा कि अपीलार्थीगण मृतक पर लाठी और डंडे से हमला कर रहे थे। अपीलकर्ता पुरुषोत्तम ने उसे देखा। भयवश वह वहां से भाग गया और अपने भाई बलिराम **(**अ**.**सा**. -2)** के पास जाकर उसे घटना के बारे में बताया। वे घटनास्थल पर लौट आए। मृतक वहाँ बेहोश पड़ा था। अपीलार्थीगण ने उस पर भी हमला करने की तैयारी कर ली। उस समय**,** कुमारी लीना साहू **(**अ**.**सा**. -3)** घटनास्थल पर मौजूद थीं।

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur

12. बलिराम **(**अ**.**सा**. -2)** ने गवाही दी कि घटना सावन के महीने की थी। शाम लगभग **4** बजे कालीराम **(**अ**.**सा**. -1)** उसके पास आया और बताया कि अपीलार्थी मयाराम**,** पुरुषोत्तम और बिसारु उर्फ चंदू मृतक पर हमला कर रहे थे। वे दोनों घटनास्थल पर पहुंचे। उन्होंने देखा कि मृतक चमन बेहोश पड़ा था और अपीलकर्ता बिसारु उर्फ चंदू और पुरुषोत्तम वहां खड़े थे। उन्होंने आगे कथन किया कि कुमारी लीना साहू **(**अ**.** सा**.-3)** भी वहां खड़ी थीं। उन्होंने आगे कथन किया कि उन्होंने अपीलार्थीगण से पूछा कि उन्होंने मृतक की हत्या क्यों की **?** अपीलार्थीगण पुरुषोत्तम और बिसारु उर्फ चंदू ने अपना अपराध स्वीकार कर लिया।

13. पूरन बांधे **(**अ**.**सा**. -6)** ने साक्ष्य दिया कि वह दोपहर लगभग **3:30** बजे अपने काम से लौट रहा था। उसी समय उसे पता चला कि मृतक और अपीलार्थीगण के बीच झगड़ा हुआ है। वह

घटनास्थल पर पहुंचा। उसने देखा कि अपीलार्थीगण मृतक पर लाठी और डंडे से हमला कर रहे थे।

14. कु. लीना साहू (अ.सा. -3) ने गवाही दी कि **21-07-2006** को दोपहर लगभग **3-4** बजे, वह अपने पिता (मृतक) के साथ भोजन कर रही थीं। उसी समय, अपीलार्थीगण उनके घर के सामने आए और गाली-गलौज करने लगे। वह और उनके पिता घर से बाहर आ गए। उसी समय, अपीलार्थीगण ने लाठी और डंडे से मृतक की हत्या करना शुरू कर दिया। उनके पिता गिर पड़े और उनकी मृत्यु हो गई।

15. अपीलार्थीगण के विद्वान अधिवक्ता ने तर्क दिया है कि कालीराम (अ.सा. -1) का आचरण असामान्य और अस्वाभाविक है। मृतक उनका पुत्र था। अपने पुत्र (मृतक) पर अपीलार्थीगण द्वारा हमला किए जाने के बावजूद, कालीराम (अ.सा. -1) ने अपने पुत्र को बचाने का कोई प्रयास नहीं किया और घटनास्थल से भाग गया। अतः, कालीराम (अ.सा. -1) का आचरण अस्वाभाविक और अविश्वसनीय है। अभियोजन पक्ष के अनुसार, मृतक की पुत्री कुमारी लीना साहू (अ.सा. -3) ने भी घटना देखी थी, लेकिन उसने मदद के लिए चिल्लाया नहीं, इसलिए उनका साक्ष्य विश्वसनीय नहीं है।

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur

16. काठी भारत वजसुर और अन्य बनाम गुजरात राज्य, **(2012) 5** एससीसी **724** में, माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने निम्नलिखित टिप्पणी की:

> **"34.** इस न्यायालय ने अप्पाभाई बनाम गुजरात राज्य, **1988** अनुपूरक एससीसी **241** में कहा: (एससीसी पृष्ठ **245-46**, पैरा **11**)
>
> **"11. ....** अनुभव हमें यह याद दिलाता है कि सभ्य लोग आमतौर पर अपराध होने पर भी असंवेदनशील हो जाते हैं, भले ही वह अपराध उनकी उपस्थिति में ही क्यों न हुआ हो। वे पीड़ित और न्यायकर्ता दोनों से दूरी बना लेते हैं। जब तक अपरिहार्य न हो, वे न्यायालय से खुद को दूर रखते हैं। उनका मानना है कि

अपराध और नागरिक विवाद दो व्यक्तियों या पक्षों के बीच का मामला है और उन्हें इसमें दखल नहीं देना चाहिए। आम जनता की यह उदासीनता वाकई दुर्भाग्यपूर्ण है, लेकिन यह हर जगह मौजूद है, चाहे वह गांव हो, कस्बे हों या शहर। जांच एजेंसी को अपने कर्तव्यों का निर्वहन करते समय जिन बाधाओं का सामना करना पड़ता है, उन्हें नजरअंदाज नहीं किया जा सकता। इसलिए, न्यायालय को स्वतंत्र साक्षियों के अभाव में अभियोजन पक्ष के मामले पर संदेह करने के बजाय, अभियोजन पक्ष के व्यापक पक्ष पर विचार करना चाहिए और फिर आरोपी द्वारा सुझाई गई किसी भी संभावना को ध्यान में रखते हुए, सत्य के अंश की खोज करनी चाहिए। हालांकि, न्यायालय को यह ध्यान रखना चाहिए कि गंभीर अपराध के गवाह सामान्य तरीके से प्रतिक्रिया नहीं कर सकते हैं। न ही उनकी प्रतिक्रिया एक समान होती है। किसी जघन्य अपराध या जघन्य प्रकृति के कृत्य से भयभीत साक्षी अलग-अलग तरह से प्रतिक्रिया कर सकते हैं। उनका आचरण सामान्य परिस्थितियों में सामान्य प्रकार का नहीं हो सकता है। इसलिए, न्यायालय केवल इसलिए उनके साक्ष्य को खारिज नहीं कर सकती क्योंकि उन्होंने असामान्य तरीके से विनती की है या प्रतिक्रिया दी है। राणा प्रताप बनाम हरियाणा राज्य, **(1983) 3** एससीसी **327** में, न्यायमूर्ति चिन्नप्पा रेड्डी ने इस न्यायालय की ओर से बोलते हुए संक्षेप में बताया कि एक ही घटना के साक्षी विभिन्न व्यक्तियों का व्यवहार कैसा हो सकता है। विद्वान न्यायाधीश ने टिप्पणी की **[**एससीसी पृष्ठ **330,** एससीसी **(**क्रिमिनल**)** पृष्ठ **604,** पैराग्राफ **6]**

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur

‘6. **....** हत्या का प्रत्यक्षदर्शी हर व्यक्ति अपनी-अपनी तरह से प्रतिक्रिया करता है। कुछ लोग स्तब्ध रह जाते हैं, कुछ अवाक रह जाते हैं और वहीं जड़वत

खड़े रह जाते हैं। कुछ लोग बेकाबू होकर रोने लगते हैं। कुछ मदद के लिए चिल्लाने लगते हैं। कुछ लोग घटनास्थल से यथासंभव दूर भागने की कोशिश करते हैं। वहीं कुछ अन्य लोग पीड़ित की मदद के लिए दौड़ पड़ते हैं और हमलावरों पर पलटवार करने तक चले जाते हैं। हर कोई अपनी खास तरह से प्रतिक्रिया करता है। स्वाभाविक प्रतिक्रिया का कोई निश्चित नियम नहीं है। किसी साक्षी के साक्ष्य को इस आधार पर खारिज कर देना कि उसने किसी विशेष तरीके से प्रतिक्रिया नहीं की, साक्ष्य का पूरी तरह से अवास्तविक और कल्पनाहीन तरीके से मूल्यांकन करना है।

35. हम उपरोक्त टिप्पणी से सहमत हैं। जब कोई प्रत्यक्षदर्शी असामान्य तरीके से व्यवहार करता है, तो अभियोजन पक्ष या न्यायालय को इस बात की पड़ताल करने की आवश्यकता नहीं है कि उसने ऐसा क्यों किया। जैसा कि न्यायमूर्ति ओ. चिन्नप्पा रेड्डी ने राणा प्रताप मामले में सही कहा है, किसी अपराध के प्रत्यक्षदर्शी की प्रतिक्रिया का कोई निश्चित स्वरूप नहीं होता। जब किसी प्रत्यक्षदर्शी की "असामान्य प्रतिक्रिया" का सामना करना पड़ता है, तो न्यायालय को केवल यह जांच करनी चाहिए कि क्या अभियोजन पक्ष की कहानी ऐसी प्रतिक्रिया से किसी भी तरह प्रभावित होती है। यदि उत्तर नकारात्मक है, तो ऐसी प्रतिक्रिया सुसंगत है। हमें आशंका है कि आहत चक्षुदर्शी सभी, अ.सा. **-6** का असामान्य व्यवहार, किसी भी तरह से अपीलकर्ताओं को अभियोजन पक्ष पर दोषारोपण करने में मदद नहीं करेगा।

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur

17. कालीराम **(**अ.सा. **-1)** ने कथन किया कि घटनास्थल पर कई लोग जमा थे और कु. लीना साहू **(**अ.सा. **-3)** पहले से ही वहां खड़ी थीं। उन्होंने आगे कथन किया कि मृतक के सिर पर चोट आई थी और उसके हाथ टूट गए थे। उन्होंने आगे कथन किया कि उन्होंने घटना को **20** फीट की दूरी से देखा था। कुमारी लीना साहू **(**अ.सा. **-3)** ने बयान दिया कि उनके पिता **(**मृतक**)** के सिर पर चोट आई थी और उनके हाथ टूट गए थे। अपीलार्थी मयाराम ने मृतक पर

हमला करने के बाद उसके घर में प्रवेश किया था। पूरन बांधे **(**अ.सा**. -6)** ने विशेष रूप से कथन किया कि जब वह गली के पास पहुंचा**,** तो झगड़ा चल रहा था और यह अगले **5** मिनट तक जारी रहा।

18. कालीराम **(**अ.सा**. -1)** ने स्पष्ट रूप से कथन किया कि अपीलार्थीगण द्वारा उनके बेटे **(**मृतक**)** पर हमला किया गया और अपीलार्थी पुरुषोत्तम ने उन पर भी हमला करने की तैयारी की**,** इसलिए वे डर के मारे वहां से भाग गए और अपने भाई बलिराम **(**अ.सा**. -2)** के घर चले गए। हम पाते हैं कि कालीराम **(**अ.सा**. -1)** का आचरण असामान्य या अस्वाभाविक नहीं है। इसलिए**,** उनका साक्ष्य विश्वसनीय है और केवल इस आधार पर खारिज नहीं किया जा सकता कि उन्होंने अपने बेटे **(**मृतक**)** को बचाने का प्रयास नहीं किया।

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur

19. घटना की तिथि और समय **21-07-2006** को शाम लगभग **4** बजे है। प्रथम सूचना रिपोर्ट **(**प्रदर्श पी**-1)** उसी दिन शाम लगभग **7** बजे दर्ज की गई थी। घटना स्थल और पुलिस थाने के बीच की दूरी **25** किलोमीटर है। घटना के **3** घंटे के भीतर प्रथम सूचना रिपोर्ट **(**प्रदर्श पी**--1)** दर्ज की गई थी। अतः**,** प्रथम सूचना रिपोर्ट **(**प्रदर्श पी**-1)** बिना किसी देरी के दर्ज की गई थी। प्रथम सूचना रिपोर्ट **(**प्रदर्श पी **-1)** में अपीलार्थीगण के नाम हमलावरों के रूप में उल्लिखित हैं। इसमें यह भी उल्लेख है कि अपीलार्थीगण ने मृतक पर लाठी और डंडे से हमला किया था। बलिराम **(**अ.सा**. -2)** के केस डायरी कथन **(**प्रदर्श डी **- 2)** और कु**.** लीना साहू **(**अ.सा**. - 3)** के केस डायरी कथन **(**प्रदर्श डी **- 3) 21-07-2006** को**,** यानी घटना वाले दिन ही दर्ज किए गए थे। यह स्पष्ट है कि उनके बयान बिना किसी देरी के दर्ज किए गए थे।

20. डॉ**.** आर**.**के**.** परदल **(**अ.सा**. -12)** ने गवाही दी कि उन्होंने मृतक के शव का पोस्टमार्टम किया और अपनी रिपोर्ट **(**प्रदर्श पी**-22)** दी। उन्होंने आगे गवाही दी कि उन्हें मृतक के शव पर उपरोक्त चोटें मिलीं। उन्होंने यह भी गवाही दी कि मृत्यु गंभीर रूप से क्षतिग्रस्त महत्वपूर्ण

अंगों, दाहिने मस्तिष्क और फेफड़ों की हड्डियों में लगी चोटों के परिणामस्वरूप सदमे, रक्तस्राव और कोमा के कारण हुई थी और मृत्यु की प्रकृति मानववध थी ।

21. हमने कालीराम **(**अ.सा**. -1),** कुमारी लीना साहू **(**अ.सा**. -3)** और पूरन बांधे **(**अ.सा**. -6)** के साक्ष्यों का ध्यानपूर्वक परिशीलन किया है। उन्होंने स्पष्ट रूप से बयान दिया है कि घटना वाले दिन अपीलार्थीगण द्वारा मृतक पर हमला किया गया था। उनके साक्ष्य की पुष्टि बलिराम **(**अ.सा**. -2)** के साक्ष्य, प्रथम सूचना रिपोर्ट **(**अ.सा**.-1)** और चिकित्सकीय साक्ष्य से होती है। हम पाते हैं कि मृत्यु आघात, रक्तस्राव और कोमा के कारण हुई थी, जो महत्वपूर्ण अंगों, दाहिने मस्तिष्क, फेफड़े और हड्डियों में गंभीर चोट का परिणाम था, और यह प्रकृति में मानववध थी।

22. अब हम मृतक की हत्या करने के संबंध में अपीलार्थीगण के सामान्य आशय पर विचार करेंगे।

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur

23. यह सर्वविदित है कि धारा **34** भारतीय दंड संहिता के तहत अपराध को आकर्षित करने के लिए कई व्यक्तियों के सामान्य आशय को स्थापित करने के लिए, निम्नलिखित दो मूलभूत तथ्यों को स्थापित करना होगा**: (**i**)** अपराध करने का सामान्य इरादा और **(**ii**)** अपराध करने में आरोपी की भागीदारी। भारतीय दंड संहिता की धारा **34** को लागू करने के लिए यह आवश्यक नहीं है कि प्रत्येक आरोपी ने मृतक पर हमला किया हो। यह पर्याप्त है यदि यह प्रदर्शित हो जाए कि उन्होंने अपराध करने के लिए एक सामान्य आशय में भागीदारी की और प्रत्येक ने अलग-अलग कृत्यों को अंजाम देकर, चाहे वे समान हों या भिन्न, अपनी निर्धारित भूमिका निभाई। भारतीय दंड संहिता की धारा **34** को लागू करने के लिए यह आवश्यक नहीं है कि प्रत्येक आरोपी ने मृतक पर हमला किया हो। यह पर्याप्त है यदि यह प्रदर्शित हो जाए कि उन्होंने अपराध करने के लिए एक सामान्य आशय में भागीदारी थी और प्रत्येक ने अलग-अलग कृत्यों को अंजाम देकर, चाहे वे समान हों या भिन्न, अपनी निर्धारित भूमिका निभाई।

24. इस मामले में, अपीलार्थी मयाराम, बिसारु उर्फ चंदू और पुरुषोत्तम ने लाठी और डंडे से लैस होकर मृतक पर हमला किया और मृतक को चोटें आईं और चोटों के कारण उसकी मृत्यु हो गई। उपरोक्त से यह स्पष्ट है कि अपीलार्थीगण द्वारा निभाई गई भूमिका मृतक की हत्या के अंतिम उद्देश्य को प्राप्त करने के उद्देश्य से थी।

25. अब हम भारतीय दंड संहिता की धारा **302** और धारा **304** के प्रावधानों के आलोक में इस मामले की जांच करेंगे।

26. अपीलार्थीगण के विद्वान अधिवक्ता श्री संजीव कुमार अग्रवाल ने तर्क दिया है कि मृतक, कालीराम **(अ.सा. -1)** और अपीलार्थीगण के बीच भूमि विवाद था। मृतक और अपीलार्थीगण के बीच झगड़ा हुआ। उन्होंने एक-दूसरे को गाली दी। अपीलार्थीगण ने लाठी का इस्तेमाल किया। अतः, अपीलार्थीगण का कृत्य भारतीय दंड संहिता की धारा **302** के तहत दंडनीय नहीं होगा तथा वे भारतीय दंड संहिता की धारा **304** के तहत दंडनीय अपराध के दोषी होंगे।

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur

27. भारतीय दंड संहिता की धारा **304** में हत्या न करने के आशय से किए गए गैर इरादतन हत्या के लिए दण्ड का प्रावधान है। यह उन मामलों में दिए जाने वाले दण्ड के बीच अंतर करता है, जहां हत्या का आशय मौजूद होने पर, यदि वह कृत्य भारतीय दंड संहिता की धारा **300** में दिए गए अपवादों में से एक के अंतर्गत नहीं आता है, तो वह हत्या की श्रेणी में आता। और ऐसे मामले जिनमें अपराध गैर इरादतन हत्या है, यानी जहां यह जानकारी है कि मृत्यु एक संभावित परिणाम होगी, लेकिन मृत्यु का कारण बनने का इरादा, या मृत्यु का कारण बनने वाली शारीरिक चोट का इरादा अनुपस्थित है। भारतीय दंड संहिता की धारा **304** का पहला भाग तब लागू होता है जब आशय हो, जबकि दूसरा भाग तब लागू होता है जब जानकारी हो, लेकिन महत्वपूर्ण बात यह है कि भारतीय दंड संहिता की धारा **304** के किसी भी भाग के तहत आरोपी को दोषी ठहराने से पहले, यह देखा जाना चाहिए कि भारतीय दंड संहिता की

धारा **300** के पांच अपवादों में उल्लिखित परिस्थितियों में से किसी एक के तहत उसके द्वारा मृत्यु हुई हो, जिनमें गंभीर और अचानक उकसावे के तहत आत्म-नियंत्रण की शक्ति से वंचित होने के दौरान हुई मृत्यु, सद्भावनापूर्वक व्यक्ति या संपत्ति की निजी रक्षा के अधिकार का प्रयोग करते समय हुई मृत्यु, और बिना पूर्वचिंता के आवेश में अचानक हुई लड़ाई में हुई मृत्यु शामिल है। किसी कार्य को करने के परिणामस्वरूप होने वाले परिणामों का ज्ञान, उस आशय से बिल्कुल अलग होता है जो यह दर्शाता है कि कोई विशेष परिणाम होना ही चाहिए। भारतीय दंड संहिता की धारा **304** के पूर्व भाग को लागू करने के लिए इरादे का तत्व एक कारक है, जबकि बाद वाले भाग को लागू करने के लिए ज्ञान का तत्व एक कारक है। आशय किसी विशेष परिणाम को प्राप्त करने के उद्देश्य से किसी कार्य को करना है, जबकि ज्ञान एक ऐसी जागरूकता है जो इस बात की अच्छी जानकारी होने का प्रमाण है कि किसी कार्य को करने से एक विशेष परिणाम प्राप्त हो सकता है।

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur

28. कु. लीना साहू **(**अ.सा.**-3)** ने विशेष रूप से बयान दिया कि अपीलार्थीगण, लाठी/डंडा से लैस होकर, उसके घर के सामने आए और उसके पिता **(**मृतक**)** को गाली दी। जब मृतक घर से बाहर आया, तो अपीलार्थीगण के द्वारा उसके साथ मारपीट शुरू कर दी गई । मृतक के सिर और शरीर के अन्य हिस्सों पर चोटें आई थीं। डॉ. आर.के. परदल **(**अ.सा. **-12)** ने मृतक के शव पर कई चोटें और पार्श्विका अस्थि, दाहिने ललाट-पार्श्विका जोड़ और पांचवीं और छठी पसलियों में फ्रैक्चर पाए।

29. मृतक की चोटों और कु. लीना साहू **(**अ.सा.**-3)** के साक्ष्य से यह स्थापित होता है कि अपीलार्थीगण द्वारा मृतक की मृत्यु को कारित करने के आशय से उसे शारीरिक चोटें पहुंचाईं, अतः अपीलार्थीगण का कृत्य गैर इरादतन हत्या के दायरे में नहीं आता, बल्कि भारतीय दंड संहिता की धारा **302** के दायरे में आता है।

30. उपरोक्त चर्चाओं के आलोक में, हमें अपील में कोई बल नहीं दिखता। हमारा मानना है कि कालीराम **(अ.सा.-1),** कुमारी लीना साहू **(अ.सा. -3)** और पूरन बांधे **(अ.सा. -6)** के साक्ष्यों के आधार पर अपीलार्थीगण को दोषी ठहराने वाले विद्वान सत्र न्यायाधीश के निर्णय में इस न्यायालय द्वारा किसी हस्तक्षेप की आवश्यकता नहीं है।

31. उपरोक्त कारणों से, हमें अपील में कोई सार नहीं मिलता; यह खारिज किए जाने योग्य है और इसे एतद्द्वारा खारिज किया जाता है।

सही/- सही/-

सुनील कुमार सिन्हा आर. एस. शर्मा

न्यायाधीश न्यायाधीश

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur

अस्वीकरणः हिन्दी भाषा में निर्णय का अनुवाद पक्षकारों के सीमित प्रयोग हेतु किया गया है ताकि वो अपनी भाषा में इसे समझ सकें एवं यह किसी अन्य प्रयोजन हेतु प्रयोग नहीं किया जाएगा। समस्त कार्यालयीन एवं व्यवहारिक प्रयोजनों हेतु **निर्णय का अंग्रेजी स्वरुप ही अभिप्रमाणित माना जाएगा और कार्यान्वयन तथा लागू किए जाने हेतु उसे ही वरीयता दी जाएगी।**

Translated By Durga Mehar Adv.